न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः—84/2025
जी.सी.एम.एस नं.—2025/162

हरभजनसिंह पुत्र हजारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— **वादी**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————**प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

1. श्री रमेश कुमार सोलंकी अधिवक्ता वादी की ओर से
2. राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—**27/05/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ की पत्थर सं.—98/48 मु.नं.—42 के कि.नं.—1 ता 4 प्रत्येक 0.253, 5/1 का 0.227, 5/2 का 0.026 खाला, 6/1 का 0.228, 6/2 का 0.025 खाला, 7 ता 14 प्रत्येक 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0.025 खाला, 16/1 का 0.228, 16/2 का 0.025 खाला, 17 ता 19 प्रत्येक 0.253, 21/1 का 0.227, 22/2 का 0.228, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228, 25/1 का 0.202, 25/3 का 0.026 खाला इस प्रकार कुल 6.199 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादी भजनसिंह पुत्र हजारासिंह के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी के नाम 1240/6199 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही व वास्तविक नाम हरभजनसिंह पुत्र हजारासिंह है, लेकिन वादी का घरेलू नाम उच्चारण में भजनसिंह होने के कारण वादी को घर पर रिश्तेदारी में दोनो नामों भजनसिंह व हरभजनसिंह के नाम से जानते व पुकारते थे। उक्त कृषि भूमि वादी की जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा थी। पंजीकृत बैयनामा लिखते वक्त सहबन से दस्तावेज लेखक द्वारा वादी का घरेलू नाम भजनसिंह दर्ज कर दिया गया था और उसी आधार पर आगे बैयनामा के आधार पर वादी के नाम से इंतकाल दर्ज करते समय उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हरभजनसिंह के स्थान पर भजनसिंह दर्ज हो गया था। इस प्रकार उक्त भूमि का बैयनामा लिखवाते समय सहबन से दस्तावेज लेखक द्वारा शब्दों के उचारण की भूलवंश वादी का घरेलू नाम भजनसिंह पुत्र हजारासिंह दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रिकार्ड में वादी का नाम भजनसिंह पुत्र हजारासिंह के नाम से दर्ज हुआ जो कि एक सद्भाविक व मानवीय भुल है।

अतः संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–98/48 मुरब्बा नं.–42 की कुल 6.199 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि जो भजनसिंह पुत्र हजारासिंह के नाम से 1240/6199 हिस्सा दर्ज है, के सबंध में वादी के खातेदार अधिकारों की घोषणा की जाकर इस कृषि भूमि में वादी हरभजनसिंह पुत्र हजारासिंह के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हरभजनसिंह पुत्र हजारासिंह दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बैयनामा होना रिकॉर्ड पर आधारित होने तक स्वीकार है अन्य कथन अस्वीकार है क्योंकि वादी ने बैयनामा करवाते समय स्वयं के दस्तावेज यथा मूल निवास अन्य पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनमें नाम प्रार्थी का भजनसिंह स्पष्ट रूप से होने पर ही पूर्व में उपपंजीयक द्वारा बैयनामा तस्दीक किया गया है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि सहवन से प्रार्थी का नाम भजनसिंह दर्ज हुआ है। वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पत्र बिना वादकरण, मनगढ़त एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज करने का कष्ट करें।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार, अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–253/दिनांक 11.03.2026, ग्राम पंचायत 8 के (बी) जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.07.2025, वादी स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 29.09.2025 के आधार पर वादी का नाम भजनसिंह पुत्र हजारासिंह के स्थान पर भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह पुत्र हजारासिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं अतःएवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके वाके चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–42 पत्थर नं. –98/48 मुरब्बा नं.–42 की कुल 6.199 हैक्टर वादी का हिस्सा 1240/6199 खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम भजनसिंह पुत्र हजारासिंह के स्थान पर भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह पुत्र हजारासिंह का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

82
सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः–रीडर / 2026 / 179 दिनांक :– 27/5/26

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़

विषय :– प्रकरण संख्या 84 / 2025 अनवान हरभजनसिंह बनाम् सरकार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए. में पारित निर्णय दिनांक की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रकरण संख्या 84 / 2025 अनवान हरभजनसिंह बनाम् सरकार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए. इस न्यायालय में विचाराधीन जैरकार था। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/05/26 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय की प्रति वास्ते राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़